

प्रार्थीगण

गफुर पुत्र लुकमान
अलादीन पुत्र लुकमान जाति मुसलमान निवासी
चौथिया तहसील रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चौथिया पटवार मण्डल सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 86 रकबा 0971 हेक्टर व खेत खसरा 9 रकबा 20.0724 तथा खसरा संख्या 87 रकबा 12.5290 हेक्टर का आया हुआ है उक्त खेत लुकमान पुत्र कण्डा व अन्य सह खातेदारों के नाम से थे लुकमान के फौत होने पर उनके विधिक वारिशन गफुर, अलादीन, खालक पत्नि हनीफा सुभानी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था। लुकमान के फौत होने पर नामान्तकरण सही भरा गया था लेकिन प्रार्थी की माता हनीफा का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र गफुर व अलादीन थे लेकिन हनीफा के स्वर्गवास पर हनीफा के वारिशन के साथ सुभानी के पुत्र खालक का नाम अंकित कर दिया जबकि खालक हनीफा का पुत्र नहीं होकर सुभानी का पुत्र है तथा सुभानी वर्तमान में जीवित है। इस कारण रिकॉर्ड में दुरुस्त कर खालक का नाम हटाते हुये गफुर तथा अलादीन के नाम अमलदरामद हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.12.2024 को दर्ज किया गया।


आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार रामसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एवं पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चौथिया पटवार मण्डल सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 86 रकबा 0971 हेक्टर व खेत खसरा 9 रकबा 20.0724 तथा खसरा संख्या 87 रकबा 12.5290 हेक्टर में खालक का नाम हटाते हुये हनीफा के विधिक वारिशन गफुर तथा अलादीन के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।


यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



क्रमांक : सीडर / 2025 / 467
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी गफुर पुत्र लुकमान जाति मुसलमान निवासी चौथिया तहसील रामसर वगोराह।


अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 09.04.2025


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर